

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी... **मनीषा लेखा R.A.S.**

उनवान

बनाम

**सुमेर सिंह**

**छिन्नकाश सिंह**

दावा बाबत.....

मुकदमा नंबर:-

निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर से **सुमेर सिंह** की व प्रतिवादी की ओर से **छिन्नकाश सिंह** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **30-6-18** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **मनीषा लेखा** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद जमीने राजीगामा व नहलीखार कीदार द्वारा उपलब्ध विज्ञापन प्रकाश इस प्रकार प्रकाश की जाती कि प्रा जाता है कि वाद मत खत खा ले 145 रुकवा 2.0234 हेक्टर खा ले 17 रुकवा 4.7803 हेक्टर खा ले 470 रुकवा 5.5644 हेक्टर खा ले 29 रुकवा 3 उपलब्ध खा 12.37 हेक्टर खा ले रोहि गुंग खाकतर

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख **30/6/18** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



**m/anshu**  
**छिन्नकाश अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. रूपयों पर प्लीडर की फीस		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमीशनर की फीस		6. कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

का तहसीलदार वीरगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजीनामा के  
 हिस्सा प्रस्ताव - अलावा इन विषयों के अलावा बाएक कायम ठीका  
 जाने। प्रतापिक हिस्सा विलियम नर्या के हाथ हर्न रहे।  
 विभाजन प्रस्ताव व तहसीलदार वीरगढ़ का भाग रहे। अलावा  
 डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार वीरगढ़ को प्रस्ताव के  
 लिखा जाने पर कार्रवाई शुरू कइया प्रस्ताव प्रस्ताव करन छे।

प्रथम निर्णय आज दिनांक 30-6-18 को सेट मेगा लोक अदालत में  
 सुनाया गया।

*M. G. Singh*  
 उपप्रमुख अधिकारी  
 वीरगढ़ (राज.)

